

नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा



Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997] क्रमांक के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

हिंदी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया

वर्धा, दि. 26 नवंबर 2019 : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में मंगलवार, 26 नवंबर को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्या भवन के कस्तूरबा सभागार में संविधान दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया।



कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का वाचन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल ने किया जिसे सभागार में उपस्थितों द्वारा दोहराया गया। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर सिद्धो-कान्हु-मुर्मू दलित एवं जानजातीय अध्ययन केंद्र की ओर से 27 नवंबर को दोपहर 3.00 बजे 'समानता का अधिकार भारतीय

संविधान का सार है' विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, दोपहर 3.30 बजे 'भारत का संविधान' विषय पर



प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 4.00 बजे निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सायं 5.00 बजे



पुरस्कार तथा प्रमाणपत्रों का वितरण किया जाएगा।